

कार्यालय महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी )-II उ.प्र.इलाहाबाद

पत्र सं-A.E.-2/03/W. C.Cell /गुप-2/16/2018/Vol.-2 /56/ दिनांक: 23/03/2022

परिपत्र

TR. No.  
633

निर्माण समन्वय मे प्रत्येक माह लोक निर्माण, सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण एवं भूगर्भ विभाग के 728 खंड के लेखे प्राप्त होते हैं, प्रायः कई खंडों के लेखों मे विसंगतियाँ पायी जाती हैं एवं कुछ विसंगतियों की पुनरावृत्ति होती रहती है इसके अतिरिक्त कई लेखा शीर्षों के अनिस्तारित अवशेषों के निस्तारण के संबंध मे लोकनिर्माण विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा इस कार्यालय के प्रतिनिधि के रूप मे तैनात खंडीय लेखाधिकारियों /लेखाकार द्वारा समुचित प्रयास नहीं किया जाता है।

अतः अपेक्षा की जाती है कि सभी संबन्धित आपस मे समन्वय बना कर लेखे मे व्याप्त विसंगतियों/अनिस्तारित अवशेषों को समाप्त/कम करने का प्रयास करेंगे ।

यह परिपत्र उप महालेखाकार महोदया के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा रहा है ।

  
वरिष्ठ लेखाधिकारी / नि.स.(प्र\*)